PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

गुरूवार दिनांक :–**11-01-2018**

गिर्राज मीना जिला परिषद सदस्य हत्याकांड का खुलासा :–

दिनांक 07.01.2018 को मृतक श्री गिर्राज मीना के पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार मीना ने उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रकरण दर्ज कराया व अपने बहनोई श्री सन्तोष मीना निवासी जीरोता थाना सपोटरा जिला करौली (छोटी बहिन वन्दना का पति) पर अपने पिता की एक्सीडेन्ट कर हत्या करने का शक जाहिर किया गया था । जिस पर टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक जिला सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार श्री सम्पत सिंह आरपीएस सी0ओ0 ग्रामीण के नेतृत्व में टीम सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह थानाधिकारी मलारना डूंगर, श्री नेमीचन्द पु0नि0 थानाधिकारी थाना कोतवाली स0मा0, श्री पूरनचन्द उ0नि0, श्री महेन्द्र कुमार, श्री राजकुमार साईबर सेल, श्री रामावतार एचसी 49, श्री विजेन्द्र कानि0 270, श्री तेजराम कानि0 80, श्री दीपेन्द्र, श्री दुष्यन्त , श्री रविन्द्र , श्री सन्दीप , श्री मुकेश , श्री कमलेश , श्री कैलाश, श्री उमेश , श्री शेरसिंह की गई व घटना से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर विस्तृत तफतीश की गई तो सन्तोष मीना का मामले में संलिप्त होना प्रतीत होने पर संदिग्ध सन्तोष कुमार मीना जीरोता की तलाश कर की गई जिसको आज दिनांक 11.01.2018 को जस्टाना से दस्तयाब कर थाना लाये व गहनता से पूछताछ की गई व अनुसंधान किया गया गहन पूछताछ व क्रास प्रशन करने पर संदिग्ध सन्तोष मीना ने बताया की मेरी शादी वन्दना पुत्री गिर्राज मीना निवासी गम्भीरा से दिनांक 25.04.2012 को हुई थी । शादी के समय वन्दना बी.एड. कर रही थी। बीएड करने के बाद में मैने टीचर की तैयारी के लिये जयपुर रखा व कोचिंग कराई गई व साथ ही आरएएस वर्ष 2012–13 की कोचिंग व तैयारी कराई गई। वर्ष 2014 में वन्दना का टीचर द्वितीय लेवल में सलेक्शन होने पर राजसमन्द में ज्वाईन किया गया। नौकरी लगने के बाद भी मैने आरएएस की तैयारी कराकर आरएएस एलाईड में सलेक्शन हो गया। वन्दना को आरएएस बनाने तक पढाई का खर्चा करीब 25 लाख रूपये खर्च हुये । आरएएस बनने के बाद वन्दना उसके पिता गिर्राज के कहने पर चलने लगी एवं गिर्राज को जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी खर्च किया था व सवाई माधोपुर में एक प्लाट भी दिया था इसी के चलते मै जब भी गिर्राज से रूपयों का हिसाब करने की बात कहता तो मेरे से नाराज हो जाता व मारपीट करने पर उतारू हो जाते । कई बार हममें आपस में व वन्दना में इस सम्बन्ध में काफी झगडे हुये है व ना ही वन्दना को मेरे साथ भेजता था। इस सम्बन्ध कई प्रकरण/वाद न्यायालय में चल रहे है। वन्दना को नहीं भेजना व हमारे रूपयों का हिसाब नहीं करने के कारण मै परेशान हो गया तो मैने मेरे ससुर गिर्राज मीना को जान से मारने की साजिश रचना व अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया । फिर मैने मेरे साले विरेन्द्र के साले अजय मीना निवासी तालवृक्ष गंगापुर सिटी से सम्पर्क किया व उस पर पैसे खर्च किये और उसके दिमाग में बैठाया कि गिर्राज मीना उसकी बहिन प्रियंका को परेशान करता है एवं गंभीरा के डी.के. उर्फ दीपक कुमार को जो कि गिर्राज का पडौसी है जिनकी पुरानी रंजिश है को साथ में लेकर साजिश रची जिसके मेरे प्लान के मुताबिक अजय मीना ने एक चोरी की जीप थार नं0 आरजे 26 यूए 2778 को दिनांक 21.12.17 को सवाई माधोपुर में उपलब्ध कराया । इसी के चलते एक ड्राईवर मैने मेरे फीडर क्षेत्र ग्राम नीमली के पंकज से सम्पर्क किया व पंकज को **एक लाख रूपये** में मेरे ससुर गिर्राज को एक्सीडेन्ट कर मारने को तैयार किया गया। इस काम को अन्जाम देने से पहले रैकी चालक पंकज मीना को स्वंय की पिकअप से डी.के. व अजय मीना को साथ लेकर गम्भीरा भिजवाया गया । रास्ता दिखाने व रैकी करवाने एवं मेरे ससुर गिर्राज मीना को पंकज को दिखाने का काम डी.के. गंभीरा को सौपा गया था क्योकि डीके गंभीरा का रहने वाला था व सभी रास्ते जानता था। रैकी के बाद ये तीनों मेरे कमरे पर सवाई माधोपुर आये मैने उस दिन इनको शराब व मीट की पार्टी दी। फिर मैने दो– चार दिन बाद इस काम को अन्जाम देने की बात कही। मैं, अजय व डीके सवाई माधोपुर में रहे त

था पंकज को यह कहकर भिजवा दिया की हम तेरे को बता देंगे।

दिनांक 05.01.2018 को मैने अजय व डीके ने योजना के तहत तीन नये मोबाईल व सिम कार्ड स0मा0 से खरीदे। फिर मैं पेट दर्द व बीमारी का बहाना बनाकर शाम को सरकारी अस्पताल स0मा0 में भर्ती हो गया। शाम को मैने पंकज मीना पिकअप चालक को स0मा0 अस्पताल में बुला लिया व सारी योजना को समझा दिया । नये खरीदे हुये मोबाईलों में से एक मोबाईल पंकज को दूसरा डीके को व एक मैने मेरे पास रख लिया। एवं रैकी के लिये एक मोटरसाईकिल भी मैने डीके को उपलब्ध करा दी व चोरी की जीप थार जो मैने जीएसएस पर छुपा कर रख रखी थी पंकज को संभला दी व इनके स्वंय के मोबाईल मैने मेरे पास रख लिये ताकि सभी की लोकेशन सवाई माधोपुर की आती रहे। डीके व पंकज को मोबाईल एयरफोन लीड से लगातार संपर्क में रहने व काल कांफ्रर्स से बात करने हेतु समझा दिया था व तीनों को कमरे पर रवाना कर दिया व सुबह जाने के लिये कह दिया था क्योकि सुबह 7–8 बजे ही गिर्राज रोज अपने घर से भाडौती चाय पीने जाता था। अगले दिन सुबह 5 बजे ये तीनों योजना के मुताबिक गंभीरा रवाना हो गये । मोटरसाईकिल पर डीके व अजय थे व जीप में पंकज था। ये तीनों मेरे लगातार संपर्क में थे। जीप टोल प्लाजा सीसीटीवी में नहीं आये इस वजह से भारजा नदी टेक की झोपडी, कुण्डली नदी की तरफ से गंभीरा पंहुचने को कहा था। और ये तीनों सुबह 7.00 बजे गंभीरा पंहुच गये। मेरे उपर शक नहीं हो इस वजह से मैने डीके के मोबाईल से मेरी पत्नि वन्दना से बात की व हालचाल पूछे । मेरी योजना के मुताबिक पंकज ड्राईवर ने थार जीप से गंभीरा स्कूल के सामने सडक पर समय 08.00 बजे के आसपास ने मेरे ससुर गिर्राज मीना को टक्कर मार दी। हमारी कान्फ्रेन्स पर बातें चल रही थी। मैने गाडी को लालसोट की तरफ छोड कर आने के लिये पंकज से कहा। लेकिन जीप तेजगति व हडबडाहट के कारण पंकज से रसूलपुरा के ब्रेकरों पर गाडी को पलट गई। फिर पंकज , डीके की मोटरसाईकिल पर अजय के साथ बैठकर तीनों बौली , बरबाडा होते हुये सवाई माधोपुर आ गये। योजना के बाद इनके स्वंय के फोन मैने इन्है लौटा दिये व किसी को कुछ नहीं बताने की बात कही व इनको वहां से भेज दिया।

शांति भंग करने के 14 आरोपी गिरफ्तार :–

विनोद कुमार उ0नि0 थाना रवांजना डुगर ने **मुरारी लाल पुत्र रामनिवास जाति माली उम्र 35 साल नि0 बहड थाना बरूनी जिला टांक , बंशीलाल पुत्र कामड्या जाति खटीक उम्र 70 साल नि0 कुश्तला थाना रवाजना डुंगर** को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार भगवतसिंह स0उ0नि0 थाना बौंली ने 1. **श्यामलाल गुजर पुत्र बुद्दा लाल जाति गुजर उम्र** 21 **वष निवासी बिचपुरा थाना बामनवास** 2. **मगरूफ पुत्र सलीम जाति मुसलमान (गद्दी) उम्र** 25 **साल निवासी रसूलपुरा थाना मलारना डूँगर** 3. **नदीम पुत्र मुखत्यार जाति मुसलमान (गद्दी उम्र** 19 **साल निवासी रसूलपुरा थाना मलारना डूँगर** को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार लक्ष्मण सिंह हैड कानि0 थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने **राहुल पुत्र हंसराज बैरवा उम्र** 19 **साल निवासी हिम्मतपुरा थाना कोतवाली स0मा0** को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार प्रकाश महेन्द्र राठि उ0नि थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने श्री नबी शाह पुत्र श्री बाबूदीन उम्र 30 साल जाति मुसलमान निवासी राजकीय महाविधालय के पीछे गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार नरेश कुमारा स0उ0नि थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने श्री सुमेर पुत्र श्री मोहन जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी फरासपुर थाना सदर गंगापुर सिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अजीत सिंह स0उ0नि0 थाना सदर गंगापुर सिटी ने 1. राधेश्याम पुत्र श्री रमेश जाति माली उम्र 21 साल निवासी चिरौली थाना सदर गंगापुरसिटी 2. रामकेश पुत्र श्री भगवत्या जाति माली उम्र 35 साल निवासी चिरौली थाना सदर गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार भवंर लाल हैड कानि0 थाना सदर गंगापुर सिटी ने मोहनसिह पुत्र श्री मिश्रीलाल उम्र 47 साल जाति खंगार निवासी नौगांव थाना सदर गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार सहीराम स0उ0नि0 थाना बामनवास ने **श्री मकेश मीना पुत्र घमसू जाति मीना उम्र** 35 **साल नि0 सिर्राकडी(चैन्यापुरा थाना सपोटरा जिला करौला** शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रमेश चन्द स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री दिलखुश पुत्र श्री रामजीलाल जाति मीणा उम्र 20 साल निवासी रामडी थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते 04 आरोपी गिरफ्तार :–

शिव सिंह हैड कानि0 थाना पीलौदा ने 1 सियाराम पुत्र चिरंजी जाति मीना उम्र 40 साल 2 खेमराज पुत्र श्री लालाराम जाति मीना उम्र 30 साल निवासीयान छोटी उदेई **थाना पीलोदा** को सावर्जनिक स्थान छोटी उदेई पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52 ताश पत्ते व 1530 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 01/18 दर्ज किया गया।

शिवचरन हैड कानि0 थाना पीलौदा ने 1 मनोज पुत्र चौथीलाल जाति मीना उम्र 40 साल 2 सरफू पुत्र श्री गिर्राज जाति मीना उम्र 40 साल निवासीयान छोटी उदेई को सावर्जनिक स्थान छोटी उदेई पर ताश के पत्ते खेलने पर मय 52 ताश पत्ते व 5100 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 02/18 दर्ज किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 02 आरोपी गिरफ्तार :–

मोहन सिंह थाना मानटाउन ने श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामनिवास जाति जागा उम्र 50 साल निवासी भढेरडा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर, 2.श्री पांचूराम पुत्र श्री रामनिवास जाति जागा उम्र 40 साल निवासी भढेरडा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सट्टे की खाईवाली करते आरोपी गिरफ्तार :–

राकेश कुमार स0उ0नि0 थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने याम पुत्र श्री सुकालाल जाति महाजन उम्र 45 साल नि0वासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को सार्वजनिक स्थान कर्मचारी कालोनी पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर मय सट्टा उपकरण व 1630 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0न0 28/18 दर्ज किया गया।

10 वारंटी गिरफ्तार :–

पुष्पेन्द्र सिंह हैड कानि0 थाना सदर गंगापुर सिटी नें फरार स्थाई वारण्टी सहीद पुत्र रफीक जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी हनुमान मन्दिर के पास दशहरा मैदान गंगापुर सिटी थाना गांगपुर सिटी को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्व श्रीमान ए0सी0जे0एम0 कोर्ट हिण्डौन सिटी द्वारा मु0न0 626/10 में स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार सहीराम स0उ0नि0 थाना बामनवास ने 1.**मनोहर लाल पुत्र श्री लाल उम्र** 28 **साल नि0भीटोला** 2. **देशराज पुत्र रुपनारायण जाति गुजर उम्र** 25 **साल नि0ककराला** 03. **छुट्टन लाल पुत्र घासी मीना उम्र** 40 **साल नि0सुकार बेडा थाना बामनवास** 4. **धारा सिह पुत्र हीरालाल उम्र** 35 **साल जाति मीना निवासी झाहिरा थाना बामनवास** को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपीयान के विरूद्व श्रीमान जे0एम0 कोर्ट बामनवास द्वारा गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार प्रेमप्रकाश हैड कानि0 थाना बाटोदा ने श्री नारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल उम्र 80 साल 2. रामभजन पुत्र श्री नारायण उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी सूरगढ थाना बाटोदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध श्रीमान जे0एम0 कोर्ट बामनवास द्वारा मु0न0 295/16 में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार प्रेमप्रकाश हैड कानि0 थाना बाटोदा ने श्रीमति सुमन पत्नि श्री नेमचन्द जाति बैष्णव उम्र 30 साल निवासी गहनोली थाना बाटोदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध श्रीमान जे0एम0 कोर्ट बामनवास द्वारा मु0न0 202/16 में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।

इसी प्रकार प्रेमप्रकाश हैड कानि0 थाना बाटोदा ने श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि श्री दामोदर जाति बैष्णव उम्र 45 साल 2. श्रीमति सूमन पत्नि श्री नेमचन्द जाति बैष्ण्व उम्र 30 साल 3. दामोदर पुत्र श्री नन्दादास उम्र 50 साल जाति बैष्णव निवासी गहनोली थाना बाटोदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरूद्ध श्रीमान जे0एम0 कोर्ट बामनवास द्वारा मु0न0 361/17 में गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया था।